


(267)

(391)

न्यायालय श्री मातृ राजस्व मण्डल रचा लियर सर्किट कोर्ट रीवा म. प्र.

R 2168-I/12



ज्ञान वैभव स्थिंह तन्य डा० शुभेन्दु स्थिंह उम् 30 वर्ष, निवासी राणा प्रताप  
मार्ग सौंधी जिला सौंधी म. प्र. वाल निवासी ग्राम गुजरा तक्षील अमरपाटन  
जिला सतना म. प्र.

— आवेदक/ निगरा नी कर्ता

व ना म

1:- धीरेन्द्र स्थिंह तन्य श्री चूंगा स्थिंह तिवारी उम् 33 वर्ष, पेशा कृषि निवासी  
पी. के स्कूल के पाछे एक आई जी. 69 वार्ड नं० 16, रीवा जिला रीवा म. प्र.

2:- श्री सुरेन्द्र स्थिंह तन्य श्री चूंगा स्थिंह तिवारी उम् 34 साल निवासी ग्राम  
मटो पा० ०५ कुन्द्युर तक्षील अमरपाटन, जिला सतना ५०३० ५०

3:- तक्षीलदार तक्षील अमरपाटन जिला सतना म. प्र.

— अनावेदक/ गैर निगरा नी कार्यग्र

निगरा नी विल्क ग्राम झिन्ना पव्यारी हल्का  
क्र. 42 झिन्ना. रा. निस्त तला द्वारा -  
ग्राम झिन्ना तहसील अमरपाटन जिला सतना  
की भूमि खसरा क्रमांक 125 लड्डू 135 के बता  
नम्बरोंन के नवशा तर्मीम कार्यवाही.

निगरा नी अन्तर्गत धारा- 50 म. प्र. मूर्ख स्व  
सुनिता तरु 1959 इतवी.

मान्यवर,

निगरा नी के आधार निम्न लिखित हैः-

1:- यह कि अधीक्षण न्यायालय / कर्माचारिये द्वारा की गई नक्शा तर्मीम  
को कार्यवाही विधि व प्रक्रिया के विपरीत ऐसे विक्रय दस्तावेज़ों को बिल्यत  
करने से निरस्त किये जाने पोख्य है।

*Asif*

(267)  
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक ..... R- 2168 - I/12 ..... जिला सतना

कानूनी वैभव दस्तावेज़ ..... विरुद्ध व्यक्ति गवालियर

1	2	3
17-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री अजम्ब प्रारुद्ध ..... अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त लोला ..... तहसील अपाराटन ..... के प्रकरण क्रमांक नम्बर 125, 135 का गवालियर में पारित आदेश दिनांक ..... 25.09.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर व्यालेक्टर सतना ..... के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 5.3.19 ..... को कलेक्टर सतना ..... के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p></p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	

..... गवालियर निवासी व प्राकृत्या के विपरीत स्व विक्रिय दस्तावेज़ के बिधिन के निम्न से निरन्तर किये जाने योग्य है।